

अधिसूचना संख्या 192/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी.कॉम)]/एसओ 1979(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 614(ई) दिनांक 18.03.2010 द्वारा; केन्द्र सरकार ने क्रम संख्या 19 पर, "अर्पित महिला एवं ग्रामीण विकास संस्थान, 242, भाभा नगर, सनिगवां रोड, कानपुर नगर-21, उत्तर प्रदेश" द्वारा "एचआईवी/एड्स जागरूकता, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम" को पात्र परियोजना या योजना के रूप में, 5.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, 1 करोड़ रुपये की कोष निधि सहित, वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के 3 वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए निर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, , इसके द्वारा "एचआईवी / एड्स जागरूकता, प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रम" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जो "अर्पित महिला एवं ग्रामीण विकास संस्थान, 242, भाभा नगर, सनिगवां रोड, कानपुर नगर -21, उत्तर प्रदेश" द्वारा अनुमोदित लागत 5.92 करोड़ रुपये में किसी भी बदलाव के बिना, 1 करोड़ रुपये की कॉरपस निधि सहित, वित्तीय वर्ष 2013-14 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि यानी 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए किया जा रहा है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2013-2014 और 2014-15 पहले ही समाप्त हो चुके हैं, इसलिए उक्त वित्तीय वर्षों 2013-2014 और 2014-15 के लिए कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।

■ ■